उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–09/2018–19

शिवपूजन मांझी वगै0

बनाम्

राम हेम्ब्रम उर्फ ढेना हेम्ब्रम एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 28/2/23

उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने के कारण रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजनवाद की प्रक्रिया शिवपूजन मांझी वो चुन्नी मांझी, पे0–स्व0 जलधर मांझी वो मिथिलेश मांझी वो बीट्टु मांझी, पे0–स्व0 शंकर मांझी, सा0–गंगटाकला, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने रिविजन आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया है। वाद का सारांश यह है कि राम हेम्ब्रम उर्फ ढेना हेम्ब्रम के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती केश नं0–27/04–05 के आदेश दिनांक–08.12.2005 द्वारा मौजा–बाराबाँध के जमाबंदी सं0–4 के दाग नं0–5, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 331, एवं 344 कुल रकबा 11–12–19 धुर जमीन को फौत घोषित किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध रिविजनकर्त्ता के द्वारा रिविजन वाद दायर किया गया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता कथन है कि मौजा–बाराबाँध जमाबंदी सं0–4 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कारू हजारी वल्द काली हजारी के नाम से दर्ज है। कारू हजारी का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

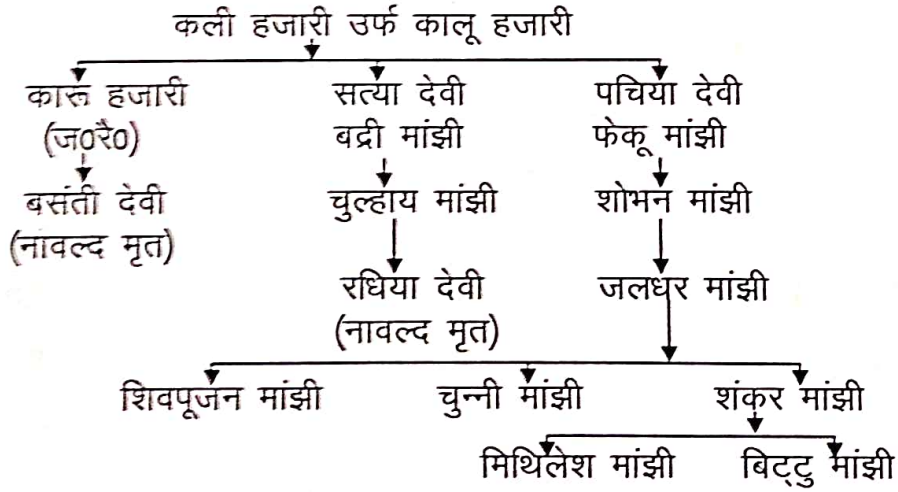

उनका आगे कथन है कि कली हजारी उर्फ कालू हजारी को एक पुत्र कारू हजारी और दो पुत्री सत्या देवी, पति–बद्री मांझी एवं पचिया देवी, पति–फेकू मांझी था। जमाबंदी रैयत के बहन सत्या देवी को एक पुत्र चुल्हाय मांझी हुए एवं जमाबंदी रैयत के दूसरी बहन पचिया देवी को एक पुत्र शोभन मांझी हुए। चूँकि गत जमाबंदी रैयत कारू हजारी की पुत्री बसंती देवी की मृत्यु नावल्द मृत्यु हो गयी थी और गत सर्वे सेटलमेंट के कार्यालय के दौरान जमाबंदी रैयत कारू हजारी एवं उनके दोनों भगिना चुल्हाय मांझी एवं शोभन मांझी जीवित थे। इसलिए गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के शीर्षक पृष्ठ पर जमाबंदी रैयत कारू हजारी का नाम दर्ज किया एवं उनके दोनों भगिना भी उक्त जमाबंदी की जमीन पर दखलकार थे। इसलिए सुविधा के लिए दोनों भगिना चुल्हाय मांझी एवं शोभन मांझी का नाम गत सर्वे सेटलमेंट के पर्चा के दखल कॉलम दर्ज किया गया। कुछ दिनों के बाद चुल्हाय मांझी एक मात्र पुत्री रधिया देवी को छोड़कर फौत कर गयी। रधिया देवी की भी मृत्यु अविवाहित अवस्था में ही हो गयी। इसलिए उक्त जमाबंदी की सारी जमीन गत जमाबंदी रैयत कारू मांझी के दूसरे भगिना शोभन मांझी के दखल में आया। शोभन मांझी एक मात्र पुत्र जलधर मांझी को छोड़कर फौत कर गये। इसलिए उक्त जमाबंदी की सारी जमीन उन्हें उत्तराधिकारी के आधार पर प्राप्त हुआ एवं वे उसपर दखलकार हुए। जलधर मांझी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शिवपूजन मांझी वो चुन्नी मांझी एवं उनके पोता मिथिलेश मांझी वो बीट्टु मांझी दखलकार हुए। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता को हाल में जानकारी प्राप्त हुआ कि उत्तरवादी राम हेम्ब्रम उर्फ ढेना हेम्ब्रम के मनगढ़ंत एवं झूठी आवेदन के आधार पर उक्त जमाबंदी की जमीन को फौती घोषित किया है। इसकी जानकारी रिविजनकर्त्ता को हाल में ही प्राप्त हुआ है। इसलिए अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए रिविजन आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत दाखिल किया है। चूँकि गत जमाबंदी रैयत के भगिना रैयत, जिसका नाम पर्चा के दखल कॉलम में दर्ज है एवं उनके वारिशान शिवपूजन मांझी जीवित है एवं उक्त जमाबंदी की जमीन पर दखलकार है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी की ओर से लम्बी अवधि के बाद भी अपना लिखित पक्ष नहीं दिया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–687/रा0 दिनांक–05.01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–बाराबाँध थाना नं0–192 जमाबंदी सं0–04 जमाबंदी रैयत कारू हजारी वल्द कली हजारी कौम भुईया सा0–देह कुल रकवा 12–09–01 धुर जमीन कैफियत कॉलम में शोभन मांझी एवं चुल्हाई मांझी भैगना रैयत कहकर खतियान में दर्ज है। वंशवृक्ष निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

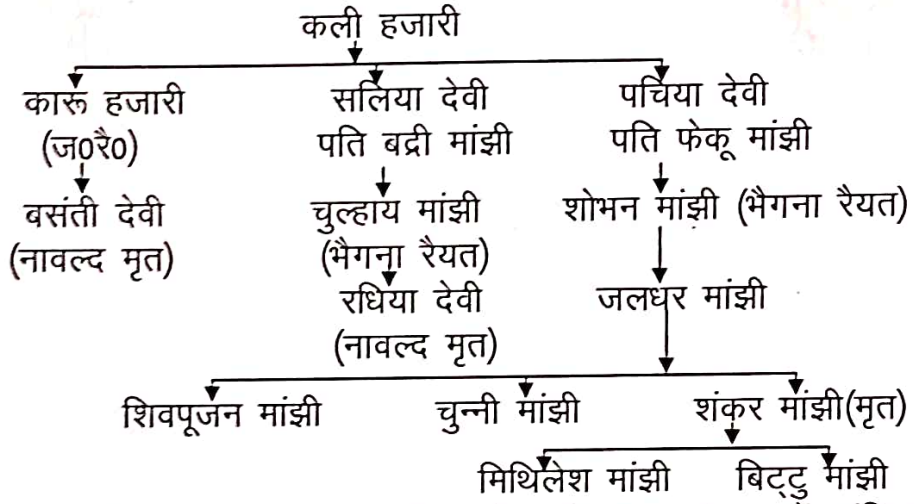

विद्वान सहायक सरकारी वकील से प्राप्त मंतव्य में अंकित किया है कि गत सर्वे सेटलमेंट के पर्चा में भगिना रैयत के रूप में शोभन मांझी एवं चुल्हाई मांझी का नाम दर्ज है और हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1926 के अनुसार भैगना रैयत द्वितीय क्षेणी के उत्तराधिकारी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बाराबाँध नं0–192 जमाबंदी सं0–04 कारू हजारी वल्द कली हजारी कौम भुईया साकिन देह कुल रकवा 12–09–01 धुर जमीन कैफियत कॉलम में शोभन मांझी एवं चुल्हाई मांझी भैगना रैयत कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। हालांकि स्पष्ट है कि गत जमाबंदी रैयत कारू हजारी की मृत्यु नावल्द हो गयी है। लेकिन उक्त पर्चा के कैफियत कौलम में सोभन मांझी एवं चुल्हाय मांझी का नाम दर्ज है और अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा प्रेषित किया गया जाँच प्रतिवेदन में दर्शाये गये वंशावली में पर्चा के कैफियत कॉलम में दर्ज सोभन मांझी का वंशज दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी को नावल्द घोषित करना नियम संगत

प्रतीत नहीं होता है और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–27/2004–05 के आदेश दिनांक–08.12.2005 को निरस्त किया जाता है एवं रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.04.12 11:09:20 +05:30
Location: 172.17.16.1